प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या

(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जाएगा)

भाग – II

(संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या FP/CG/ROAD/119866//2021

07. परियोजना / स्कीम का स्थान :–

i राज्य/संघ शासित क्षेत्र :– छत्तीसगढ़

ii जिला :– उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)

iii वन प्रभाग :– वनमंडल कांकेर,
परिक्षेत्र नरहरपुर/सरोना

iv वनेतर प्रयोग के लिये प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र **(हेक्टेयर में)** :–

परिक्षेत्र	**कक्ष क्रमांक**	**रकबा (हे.में)**
नरहरपुर	RF 211	4.9339
	RF 158	1.9254
	RF 207	1.5472
	Total:-	**8.4065**
	OA 472	2.3629
	OA 478	0.4309
	OA 479	3.7082
	OA 480	0.5203
	Total:-	**7.0223**
	Range Total:-	**15.4288**
सरोना	RF 153	2.9270
	RF 127	9.2590
	RF 128	9.3693
	Total:-	**21.5553**
	OA 427	2.1028
	Range Total:-	**23.6581**
	Grand Total:-	**39.0869**

v वन की कानूनी स्थिति :– आरक्षित/नांरगी वनभूमि

vi हरियाली का धनत्व :– 0.5 से 0.6

vii प्रजातिवार **(वैज्ञानिक नाम)** और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना **(संलग्न की जाए)** सिंचाई/ जलीय परियोजनाओं के संबंध में F.R.L.F.R.L.-2 मीटर पर परिगणना और F.R.L.-4 मीटर भी संलग्न की जाए) :– प्रजातिवार एवं गोलाईवार वृक्ष गणना पत्रक संलग्न है। 20 से.मी. से अधिक गोलाई के 13968 मिश्रित प्रजाति के वृक्ष मौजूद है तथा 1372 नग वृक्ष 20 से.मी. से कम गोलाई के स्थित है। इस प्रकार कुल 15341 वृक्ष है।

(पेज क्रमांक ..... से ..... तक)

viii	भूक्षरण के लिये वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी।	:—	व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित भूमि की समाकृति समतल एवं पहाड़ी है, जिसकी भौमिकी आरकियन तथा मृदा रेतलीडोमट, चिकनीडोमट, लाल रेटेराईट एवं जलोढ मृदा के है।
xi	वनेतर प्रयोग के लिये प्रस्तावित स्थल की वन सीमा से अनुमानित दूरी ।	:—	प्रस्तावित क्षेत्र आरक्षित/नारंगी वन भूमि कक्ष क्रमांक आर.एफ.158,211,207,153,,127,128 एवं ओ.ए. 479,480,472,427,478 का ही भाग है।
x	क्या प्रस्तावित क्षेत्र राष्ट्रीय उद्यान,वन्यजीव अभ्यारण,जैवमंडल रिजर्व,बाघ रिजर्व,हाथी कोरीडोर ,आदि का भाग है।**(यदि हॉ,क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्यजीव वार्डन की टिप्पणीयॉ अनुबंधित की जाये)**	:—	प्रस्तावित क्षेत्र सीतानदी अभ्यारण्य के 10 कि.मी. परिधी अंतर्गत सरोना परिक्षेत्र के कक्ष क्रमांक आरक्षित वन 120,121,103,104,105,106,107, 108,112,115,118,119,124,125,126,127,128, 129,130,131,152,153,154,155,156 तथा नारंगी वनभूमि कक्ष क्रमांक 435, 428,429,447 प्रभावित हो रहा है।
xi	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणीजात की दुलर्भ/संकटापन्न/ विशिष्ट प्रजातियॉ पाई जाती है, यदि हॉ/तो तत्संबंधी ब्यौरा दें ।	:—	हॉ, व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित क्षेत्र में दुलर्भ/ संकटापन्न वृक्ष तिन्सा, हल्दू, भेलवा, सेहरा, अमलतास, घोटिया, शीशम, मुण्डी, सेमल, धामन, खैर, बेल, खम्हार, अर्जुन, पीपल, गिलोय, चिल प्रजाति के वृक्ष तथा सांभर, चौसिंगा, जंगली कुत्ता, बाघ (शेर), तेन्दुआ, भालू व पक्षियों में मोर, बूलबूल, किंगफिशर, कठफोड़वा, तोता, मैना, लावा एवं सर्प में धामन, करैत, नाग, गेहूवन, अजगर, अहिराज प्रजाति के वन्य प्राणी विलुप्त प्राय स्थिति में है।
xii	क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारंपरिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक इस क्षेत्र में स्थित है। यदि हॉ तो तत्संबंधी ब्यौंरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ, यदि अपेक्षित हो,दें ।	:—	प्रस्तावित भूमि में नरहरपुर परिक्षेत्र के ग्राम शामतरा के अंतर्गत देवस्थल सकरहीनपाट तथा वर्तमान में मौजूद सड़क के किनारे मोहनीबाबा का मूर्ति स्थापित है।

08	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग–1 कॉलम–2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिये अपरिहार्य और न्यूनतम है। यदि नहीं तो जांचे गये विकल्पों के ब्यौरा के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है ।	:—	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण **(सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)** कार्यालय परियोजना निर्देशक, परियोजना क्रियान्वयन ईकाई, जिला–धमतरी द्वारा कांकेर वनमंडल अंतर्गत आरक्षित वन कक्ष क्रमांक 158,207,211,153,127,128 एवं नारंगी वन खण्ड 479, 480, 472,427,478 में से परियोजना हेतु प्रस्तावित रकबा 39.0869 हेक्टेयर अपरिहार्य एवं न्यूनतम है।
09	क्या अधिनियम उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है **(हां/नही)** यदि हॉ तो कार्य की अवधि,दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौंरा दें,क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी भी चल रहें हैं।	:—	नहीं।
10	**प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौंरा –**		
i	प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेतर क्षेत्र/अवक्रमित वन क्षेत्र, आसपास के वन से इसकी दूरी,भू–खंडों की संख्या,प्रत्येक भू–खंड का आकार	:—	प्रतिपूर्ति पूरक वनीकरण हेतु महासमुंद वनमंडल में सराईपाली, पिथौरा, महासमुंद परिक्षेत्र अंतर्गत 19 स्थलों में रकबा 457.000 हेक्टेयर चयन कर प्रस्तावित किया गया है।
ii	प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेत्तर /अवक्रमित वन क्षेत्र,और आस–पास की वन सीमाओं को दर्शाता मानचित्र ।	:—	संलग्न है।
iii	रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेंसी समय अनुसूची लागत ढांचा आदि	:—	रोपण हेतु प्रस्तावित क्षेत्र में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु आवेदक संस्थान से वर्ष 2021–22 हेतु प्रचलित सिंचित दर प्रति हेक्टेयर 7,98,897/– रूपये दर से रकबा 457.000 हे. में रोपण हेतु रू. 3650.96 लाख रूपये प्राप्त कर कैम्पा खाता में जमा कराया जाकर वनमंडलाधिकारी महासमुंद द्वारा वैकल्पिक वृक्षारोपण कार्य किया जावेगा।
iv	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिये कुल वित्तीय परिव्यय ।	:—	रू. 3650.96 लाख
v	प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्ता के बारे में और प्रबंधकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण **(संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा हस्तांतरित किया जाए)**	:—	वनमंडलाधिकारी महासमुंद द्वारा वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु चयनित की गई भूमि के संबंध में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्तता प्रमाण पत्र संलग्न है। (पेज क्रमांक..... से ..... तक)

11	जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कॉलम 7 (xi,xii) 8 और 9 में पुछे गए तथ्यों को दर्शातें हुए **(संलग्न करें)**	:—	संलग्न है।
12	**विभाग/जिला प्रोफाइल :—**	:—	
i	जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल	:—	कांकेर जिले का भौगोलिक क्षेत्र 7247.959 वर्ग कि.मी. है।
ii	जिले का वन क्षेत्र	:—	जिले का कुल वन क्षेत्रफल 3686.685 वर्ग कि.मी. है।
iii	मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेतर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र	:—	वन मंडल अन्तर्गत 1980 से अब तक कुल 12 प्रकरणों में 126.569 हें. वन भूमि वनेत्तर प्रयोग में लाया गया है।
iv	1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण —	:—	
क	दंड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि	:—	वनमंडल अन्तर्गत वन भूमि स्वीकृत योजनाओं के विरूद्ध अब तक 1389.365 हेक्टेयर भूमि पर वैकल्पिक वृक्षारोपण किया गया है।
ख	वनेत्तर भूमि पर	:—	नहीं।
v	तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति —	:—	
क	वन भूमि पर	:—	विभिन्न परियोजनाओं के विरूद्ध रोपित किये गये क्षेत्रों के मूल्यांकन से प्रतिपूरक वनीकरण में वृद्धि हुई है।
ख	वनेत्तर भूमि पर	:—	वनेत्तर भूमि पर वन मंडल में क्षतिपूर्ति वनीकरण नहीं हुआ है।
13	प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के संबंध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश	:—	कार्य राष्ट्रहित एवं जनहित में होने के कारण वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत भारतमाला परियोजना अंतर्गत रायपुर से विशाखापट्टनम मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि के व्यपवर्तन की अनुशंसा की जाती है।

दिनांक :— 16.12.2021
स्थान :— कांकेर

अरविन्द पी.एम.
(भा.व.से.)
वनमंडलाधिकारी,
कांकेर वनमंडल कांकेर